



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 24.05.2025

थाना खेकडा पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 12 अभियोग व विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियोग से सम्बन्धित माल के विनष्टीकरण के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनांक 24.05.2025 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना खेकडा पर आबकारी / विस्फोटक से सम्बन्धित वर्ष 2024 व वर्ष 2025 के अभियोगों से सम्बन्धित लगभग 1641 लीटर शराब व विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित केक कैण्डल वजन करीब 59 किलोग्राम को क्षेत्राधिकारी खेकडा व नायब तहसीलदार खेकडा व प्रभारी निरीक्षक खेकडा के समक्ष समस्त माल का विनष्टीकरण करते हुए जमीन में गद्दा खुदवाकर समस्त माल को दबाया गया है।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 24.05.2025

थाना खेकडा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खेकडा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-समीम पुत्र अंसार उर्फ निसार निवासी सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2-राहुल पुत्र राममेहर निवासी सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा ।
- 2-उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 432 अनिल नागर थाना खेकडा
- 4-का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।

5-है0का0 428 कपिल रावत थाना खेकडा ।

6-का0 250 कोमल चौधरी थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 24.05.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 130/25 धारा

305/331(3)317(2)BNS का सफल अनावरण करते हुये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से वादिया के घर से चोरी किया हुआ सामान बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.25 को थाना छपरौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त परवेज उर्फ फिरोज पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम टांडा थाना छपरौली के द्वारा वादिनी के घर का ताला तोडकर 3000/- रुपये नगद, जेवरात व अन्य सामान चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 130/25 धारा 305/331(3)317(2)BNS बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 130/25 धारा 305/331(3)317(2)BNS बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01

जोडी बाली, 01 नथनी (पीली धातु), एक लेडीज घडी, एक मोबाइल सेमसंग, एक ईयरफोन, चार्जर, एक बैग, लिपस्टिक, 01 आधार कार्ड बरामद हुआ है।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

परवेज उर्फ फिरोज पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम टांडा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 जोडी बाली
- 01 नथनी पीली धातु
- एक लेडीज घडी
- एक मोबाइल सेमसंग
- एक ईयरफोन
- 01 चार्जर
- एक बैग
- लिपस्टिक
- 01 आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली
- 2-है0का0 704 ऋषिपाल भाटी थाना छपरौली
- 3-का0 1028 मुरली थाना छपरौली





प्रे स नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 24.05.2025

थाना बडौत पुलिस द्वारा शराब तस्क़र एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 26 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्क़रों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 26 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 317/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सौरभ पुत्र राजकुमार निवासी गली काहरान
पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जपनद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 26 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिनेशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 24.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 305/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए 02 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.05.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अनिकेत शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल वीवो 16 चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।



मु0अ0सं0 276/25 धारा 303(2) बीएनएस में साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त राहुल पुत्र सौदागर निवासी मौ0 अहेरियान कल्लू जूस वाले के पास करम्बा शाहजहाँपुर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2) बीएनएस का लोप कर धारा 305/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 305/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 में प्रकाश में आये अभियुक्त राहुल पुत्र सौदागर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए 02 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र सौदागर निवासी मौ0 अहेरियान करम्बा शाहजहाँपुर थाना किठौर जनपद मेरठ
बरामदगी का विवरण-

- चोरी किए हुए 02 मोबाईल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 632 विनोद भाटी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-का0 81 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 24.05.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 144/25 धारा 64(1)/333 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा बरामद।

संक्षिप्त विवरण /कार्यवाही -

दिनांक 24.05.2025 को वादिया ने डायल-112 पर सूचना दी कि अभियुक्त नितिन पुत्र विनोद उर्फ पप्पा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत ने वादिया के घर में घुसकर तमंचा दिखाकर वादिया के साथ दुष्कर्म किया है, सूचना पर डायल-112 घटनास्थल पर पहुंची तथा अभियुक्त को जनता की मदद से पकड़कर थाने लाया गया । थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0स0 144/25 धारा 64(1)/333 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन पुत्र विनोद उर्फ पप्पा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-का0 287 अनिल कुमार पीआरवी 2959 यूपी 112 बागपत ।
- 3-का0 1019 अजय यादव थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-हो0गा0 371 जयकुमार पीआरवी 2959 यूपी 112 बागपत
- 5-हो0गा0 573 बालेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.05.25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 108/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.3.25 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी शौकीन पुत्र कमालूद्दीन निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री के ससुराल जनो 1.पति सुहेब पुत्र शहजाद 2.देवर सुहेल पुत्र शहजाद 3.ससुर शहजाद पुत्र शबीव खां व 02 महिला निवासी गण बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित किया,



अतिरिक्त दहेज की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री नुरजहान उम्र 25 वर्ष

की हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 108/25 धारा 80(1)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 108/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त (ससुर) शहजाद पुत्र शबीब खां को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा दिनांक 02-04-2025 को एक अभियुक्त सुहेब पुत्र शहजाद को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहजाद पुत्र शबीब खां निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सि० अहीर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि०श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सि० अहीर जनपद बागपत
- 2.है०का०456 मनोज शर्मा थाना सि० अहीर जनपद बागपत

